

राजस्थान सरकार
राजस्व ः क्रम-6 ः विभाग

क्रमांक:- प-6॥39॥राज-4/85/23

जयपुर, दिनांक:- 67/99

-: अधिसूचना :-

राजस्थान सू-राजस्व अधिनियम, 1956 ः राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956 ः की धारा 26 उप-धारा ॥1॥ सहसंयुक्त धारा 260 उप-धारा ॥1॥ के अन्तर्गत ः द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार संतुष्टि द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान सू-राजस्व ः के तहत चलाए गए सू-राजस्व ः अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिनियमों पर अधिसूचित क्षेत्रों एवं शक्तियों का राज्य के सशस्त्र जिलों में कार्यरत सहायक कोलेक्टर द्वारा संबंधित जिला कोलेक्टरों के निर्देश पर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा ।

यह अधिसूचना दिनांक 30-03-2000 तक प्रभावी रहेगी ।

राज्यपाल को आज्ञा से,

शिव कुमार शर्मा ः
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव/राजस्व संचालिका जी / मुख्य सचिव महोदय/ प्रमुख शासन सचिव, राजस्व
2. सशस्त्र सहायक आसुक्त, राजस्थान ।
3. सशस्त्र जिला कोलेक्टर, राजस्थान
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. संयुक्त निबन्धक, न्यायाधीश प्रवृत्तकालय, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रिय सूचना मंत्रालय जयपुर को राजपत्र निदेशांक दिनांक 67/99 ः प्रकाशनार्थ ।
8. " सचिव " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9. उप-निबन्धक वित्त एवं लेखा ः राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. विधि संहिताकरण विभाग ।
11. उप सचिव, राजस्व ः क्रम-3 ः विभाग ।
12. प्रधान संपादक, सचिवालय राजिना, जयपुर ।
13. सशस्त्र सहायिका ।

शासन उप सचिव